



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत अ0सं0- 283/2016 धारा 498ए,304बी भा0द0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी-प्रथम/जीएसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.भरतलाल पुत्र देवीदीन नि0 अरतरा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को 07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी  
श्री रामबाबू अवस्थी



विवेचक  
एसपी श्री अमरदराज  
खान



पैरोकार थाना मौदहा  
का0 शुभम यादव